तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रेमाराम सुथार बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 73/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रेमाराम सुथार पता 121, मेन रोड़ आंगणवा पोस्ट सुरपुरा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.01.2019 में उसके द्वारा (1) लोकायुक्त सचिवालय जयपुर राजस्थान परिवाद द्वारा देवाराम फाईल नं0 35(318/लो. आ.स./2018 पत्रांक 32363 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर दिनांक 01.01.19 विषय आपके परिवाद में सामलात भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत् जिसमें आपके विभाग द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की सूचना व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 624 दिनांक 21.05.19 के तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी प्रेमाराम सुथार का प्रार्थना पत्र धारा 6(3)के तहत अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 341 दिनांक 15.03.19 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा प्रार्थी को सूचनार्थ पत्र की प्रति दी गई। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि मुख्य कार्यकाकरी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर ने पृष्ठांकित पत्र संख्या 26344 दिनांक 27.03.19 एवं 26453 दिनांक 31.03.19 द्वारा प्रार्थी प्रेमाराम सुथार को कुलि 48 पृष्ठों की सूचना उपलब्ध कराने हेतु राशि रूपये 96/– जमा कराने हेतु लिखा गया था। लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने 48 पृष्ठीय सूचना के लिए राशि 96/–रूपये जिला परिषद जोधपुर कार्यालय में जमा नहीं करवाये गये तथा तथा अपील भी विलम्ब से प्रस्तुत की गई तथा विलम्ब करने का कारण भी स्पश्टीकरण नहीं दिया गया। अतः अपीलार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने के प्रति गंभीर है तो जिला परिषद जोधपुर में 96/– रूपये जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	